2023/43 GCMS (D)L

खारिज
02.4.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

रेवन्ताराम बनाम मंगलाराम

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 136 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.12.2023	प्रार्थी रेवन्ताराम की तरफ से वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि ग्राम बांगासर के ख.नं. 230 की 2.049 है., 232 की 3.6170 है., 233 की 1.6060 है, 288 की 1.8590 है., 290 की 5.9940 है. कुल 15.1250 है. में से अप्रार्थी अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से 1/9 हिस्सा से अधिक भूमि को रहन बैय करने से निषेद्ध रहे। यह निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद (यथा खाता विभाजन आदि), रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। यह निषेधाज्ञा केवल आगामी तारीख पेशी तक ही प्रभावी रहेगी। इसे आगे बढाने हेतु पृथक से आदेश जारी न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझी जाएगी। पत्रावली आईन्दा तारीख 29.01.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
29.01.2024	वकील फरीकैन उपस्थित/PU साहिब [illegible] [illegible] है। पत्रावली [illegible] बगरज [illegible] दिनांक 20.3.2024 को पेश हो। [signature]	
20.3.2024	वकील फरीकैन उपस्थित/PU साहिब [illegible] [illegible] है। पत्रावली [illegible] बगरज जवाब दिनांक 31.5.2024 को पेश हो। [signature]	
2.4.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र निकाल पेशी पेश [illegible] पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने [illegible] प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहता है। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहता है अतः प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मौजूदा स्थिति में [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की [illegible] तरमीम तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	अ. लि. रेवन्ताराम पेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:40:57 IST
Reason: SelfAttested